



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-793

दिनांक- 07.04.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्यवाही।
- अवैध हुक्का बार के संचालक सहित कुल 10 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- 08 अदद हुक्का व फ्लेवर एवं 32 अदद पाइप बरामद ।

01-संक्षिप्त विवरण-

कई दिनों से थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना स्थानीय क्षेत्रांगत मंजू टण्डन ढाल के पास कई दिनों से एक अवैध हुक्का बार का संचालन हो रहा था पुलिस द्वारा कई बार चेक किया गया तो बाहर से ताला बंद मिल रहा था जानकारी करने पर ज्ञात हुआ था कि हुक्का संचालक बाहर से ताला लगाकर अंदर ग्राहक बुलाकर पुलिस को गुमराह कर अवैध हुक्का बार चला रहा था पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.04.2025 को सादे वस्त्र में ग्राहक के रूप में हुक्का बार के अंदर प्रवेश कर अवैध हुक्का बार का भण्डाफोड करते हुए संचालक सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा मौके से कुल 08 हुक्का व फ्लेवर व हुक्का में लगाकर प्रयोग करने वाले कुल 32 पाइप बरामद किये गये। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 180/25 धारा- 271/316(2) बीएनएस पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का चालान करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 सूफियान पुत्र मो0 चाँद नि0-ग्राम दशहरी थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र 20 वर्ष
2. मो0 मुस्तफा पुत्र मो0 जमील नि0-हरी बाजार कैपवेल रोड बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र-21 वर्ष
3. मो0 शहनबाज पुत्र अली अहमद नि0-बाज नगर थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र 20 वर्ष
4. सत्यम यादव पुत्र चन्द्र पाल यादव नि0-ग्राम हलुवापुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष
5. मो0 अफजल पुत्र शाबदार अली नि0-400/318 गढ़ीपीर खाँ थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 20 वर्ष
6. विशाल कनौजिया पुत्र सुनील कनौजिया नि0-झब्बन की बगिया थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र-19 वर्ष
7. मो0 तनवीर पुत्र जुबैर अहमद नि0-437/5 अमान मैरिज हाल के पास करीमगंज थाना सआदतगंज लखनऊ
8. मो0 अनस पुत्र मो0 रफी नि0-437/42 करीमगंज थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र-19 वर्ष
9. मो0 इकराम पुत्र मो0 इरफान नि0-इस्लाम कैटीन के पास करीमगंज थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र 21 वर्ष
10. रूपेश कनौजिया पुत्र संजू कनौजिया नि0- आलम नगर बुद्धेश्वर चौराहा थाना पारा लखनऊ उम्र 19 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 180/25 धारा- 271/316(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

03-बरामदगी का विवरण-

- 08 अदद हुक्का
- फ्लैवर
- 32 अदद पाइप

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्रीकांत राय थाना ठाकुरगंज लखनऊ
2. उ0नि0 श्री मारूफ आलम थाना ठाकुरगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री यादव आकाश श्रीकृष्ण थाना ठाकुरगंज लखनऊ
4. का0 तारा सिंह बघेल थाना ठाकुरगंज
5. का0 आकाश कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ
6. का0 शिवम सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
7. का0 दीपनारायण थाना ठाकुरगंज लखनऊ
8. का0 बृजेश कुमार यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस नोट सं0-788

दिनांक 07.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- शांति व्यवस्था भंग करने वाले 05 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही विवरण-

दिनांक 07.04.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी टीम को क्रमशः सूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 172/2025 धारा 74/191(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित नोटिस अंतर्गत धारा 35(3) बीएनएसएस तामिल कराने पर पूछताछ करने पर अचानक उग्र होकर जोर जोर से चिल्लाने लगना और पिछली बार बच गये थे लेकिन अब नहीं बचेगे कहकर आमादा फौजदारी होना व दस्तरखान होटल के पास कुछ व्यक्ति झगडा कर रहे है व दो व्यक्ति डिप्टीगंज के पास राहगीर से कहा सुनी विवाद करते हुए मार्ग में आने जाने वाले लोगो से विवाद कर रहा है तत्पश्चात जांच के क्रम मे अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0प्र0 प्रतीक कुमार शर्मा मय पुलिस टीम के रवाना होकर प्राप्त सूचना के आधार पर 1. सूरज यादव पुत्र रामनरेश यादव निवासी शाहखेड़ा अर्जुनगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ, 2. शुभम यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी शाहखेड़ा अर्जुनगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ जो मु0अ0सं0 172/2025 धारा 74/191(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित नोटिस अंतर्गत धारा 35(3) बीएनएसएस तामिल कराने पर पूछताछ करने पर अचानक उग्र होकर जोर जोर से चिल्लाने लगना और पिछली बार बच गये थे लेकिन अब नहीं बचेगे कहकर आमादा फौजदारी होने लगे मौके पर राहगीरो की काफी भीड़ इकठ्ठा होने लगी कारणवश असहज स्थिति उत्पन्न हो गयी।

मौके पर संज्ञेय/गम्भीर अपराध रोकने और शान्ति व्यवस्था भंग होने का पूर्ण अंदेशा होने पर उसे रोकने के अलावा कोई अन्य उपाय न होने के दृष्टिगत कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए उपरोक्त दोनो व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस हिरासत पुलिस लिया गया व प्र०उ०नि० बादल सरोहा मय पुलिस टीम के रवाना होकर प्राप्त सूचना के आधार पर 01. नितिन गौतम पुत्र स्व सुखमीलाल निवासी अहमामाऊ थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ, उम्र करीब उम्र -35 वर्ष दस्तरखान होटल के पास दूसरे व्यक्ति से झगडा कर रहे है जब पुलिस टीम द्वारा की एक भी बात न मानकर और तेज तेज आवाज में बोलने लगा व आमादा फौजदारी पर उतारू हो गया। कोई संज्ञेय अपराध कारित होने से रोकने के दृष्टिगत अलावा गिरफ्तारी के अन्य कोई चारा न देख कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा 170/126/135 भा० ना०सु० सं० में हिरासत पुलिस ने लिया गया।

30नि0 रामप्रवेश साहनी मय पुलिस टीम के खाना होकर प्राप्त सूचना के आधार पर 1. सचिन पाल पुत्र रामकेवल निवासी डिप्टीगंज निलमथा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र -26 वर्ष 2. अर्जुन पाल पुत्र रामनरेश पाल निवासी डिप्टीगंज निलमथा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र -30 वर्ष डिप्टीगंज के पास राहगीर से कहा सुनी विवाद करते हुए मार्ग में आने जाने वाले लोगो से विवाद कर रहा है। जब पुलिस टीम द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया सचिन पाल व अर्जुन पाल उपरोक्त मानने के लिये तैयार नहीं हुये बल्कि और अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगे जिससे मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा होने लगी कारणवश मौके पर असहज स्थिति उत्पन्न हो गयी।

मौके पर संज्ञेय/गम्भीर अपराध रोकने और शान्ति व्यवस्था भंग होने का पूर्ण अंदेशा होने पर उसे रोकने के अलावा कोई अन्य उपाय न होने के कारण सचिन पाल व अर्जुन पाल उपरोक्त को मौके पर से अन्तर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस हिरासत पुलिस मे लेकर चालान माननीय न्यायालय किया गया

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1. नितिन गौतम पुत्र स्व सुखमीलाल निवासी अहमामाऊ थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ, उम्र -35 वर्ष
2. सचिन पाल पुत्र रामकेवल निवासी डिप्टीगंज निलमथा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र -26 वर्ष
3. अर्जुन पाल पुत्र रामनरेश पाल निवासी डिप्टीगंज निलमथा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब उम्र -30 वर्ष
4. सुरज यादव पुत्र रामनरेश यादव निवासी शाहखेड़ा अर्जुनगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र-22 वर्ष
5. शुभम यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी शाहखेड़ा अर्जुनगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र-23 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-792
दिनांक- 07.04.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम लखनऊ

- नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले 01 नफर आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.04.2025 को थाना स्थानीय पर वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर विपक्षी द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गयी। तत्काल तहरीर के आधार पर थाना जानकीपुरम पर मु0अ0सं0 059/2025 धारा 64(1)/62 BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अशोक सोनी पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा को सुपुर्द हुई।

दिनांक 07.04.2025 को मुखविर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त अशोक सोनी पुत्र स्व0 रामसरन सोनी निवासी ग्राम 476 मौलवी खेडा अमेठिया सलेमपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ को भुइयन देवी मन्दिर के पीछे से अन्तर्गत धारा 64(1)/62 BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

02-अपराध का तरीका/उद्देश्य:- दुष्कर्म करने का प्रयास।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अशोक सोनी पुत्र स्व0 रामसरन सोनी निवासी ग्राम 476 मौलवी खेडा अमेठिया सलेमपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ व्यवसाय –(मेलो में झूला लगाना)।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

1. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा
2. उ0नि0 श्री अंकित कुमार
3. म0उ0नि0 शिवानी वर्मा



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-790

दिनांक-07.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-गुडम्बा

- शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.02.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0071/2025 धारा-69 /351(2) बीएनएस व 66 ई आईटी एक्ट विरुद्ध आशुतोष सिंह पुत्र स्व0 सत्येन्द्र पाल सिंह निवासी कैलठा तिराहा थाना अलीगंज जनपद एटा के पंजीकृत कराया गया।

आज दिनांक 07.04.2025 को निरीक्षक श्री भानु प्रताप सिंह मय हमराही पुलिस बल के पतारसी सुरागरसी के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आशुतोष सिंह पुत्र स्व0 सत्येन्द्र पाल सिंह निवासी कैलठा तिराहा थाना अलीगंज जनपद एटा उम्र करीब 23 वर्ष को पिकनिक स्पॉट रोड कुकरैल पुल के पास थाना क्षेत्र गुडम्बा से गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व अश्लील वीडियो धोखे से बना लेने व वायरल करने की धमकी देने का अपराध कारित किया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. आशुतोष सिंह पुत्र स्व0 सत्येन्द्र पाल सिंह निवासी कैलठा तिराहा थाना अलीगंज जनपद एटा उम्र करीब 23 वर्ष

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बा:-

1. प्र0नि0 श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव
2. अति0 निरीक्षक श्री भानु प्रताप सिंह
3. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह
4. का0 विजय नरेश



पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-791

दिनांक-07.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-गुडम्बा

- नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने का वांछित आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.02.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 69/2025 धारा 137(2)/87 बी.एन.एस. विरुद्ध राहुल पुत्र अनिल निवासी ग्राम रामपुर थाना संदना जिला सीतापुर के पंजीकृत कराया गया।

आज दिनांक 07.04.2025 को उ0नि0 देवेन्द्र सिंह मय हमराही पुलिस बल के पतारसी सुरागरसी के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित राहुल पुत्र अनिल कुमार निवासी हाल पता ग्राम जमुखिया पोस्ट उगपुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई मूल पता ग्राम रामपुर थाना संदना जनपद सीतापुर उम्र 23 वर्ष को मिश्रपुर डिपो के पास थाना क्षेत्र गुडम्बा से अंतर्गत धारा 87/137(2)/64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना व उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने का अपराध कारित किया गया है ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. राहुल पुत्र अनिल कुमार निवासी हाल पता ग्राम जमुखिया पोस्ट उगपुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई मूल पता ग्राम रामपुर थाना संदना जनपद सीतापुर उम्र 23 वर्ष ।

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बा:-

1. प्र0नि0 श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री सौरव सिंह
4. का0 लवकुश
5. म0का0 प्रिया



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-789

दिनांक-07.04.2025

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

- ज्वलर्स की दुकान से कीमती चांदी के आभूषण चोरी कर फरार कर्मचारी को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से सफेद धातु की 13 जोड़ी पायल कुल वजन 01 किलो 269 ग्राम बरामदा।

01- संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 10.03.2025 को अजीत कुमार, भरत कुमार सर्राफा, चौक लखनऊ के मालिक श्री विवेक रस्तोगी द्वारा अंशु शुक्ला पुत्र श्री शान्ति शुक्ला, निवासी सईया ईया गाँव गौरा बिसवाँ रोड, जिला सीतापुर के विरुद्ध इस आशय से अभियोग पंजीकृत कराया कि उपरोक्त अंशु शुक्ला द्वारा जो पहले से वादी मुकदमा के यहां काम करता था उसके द्वारा लगभग चांदी के 09 किलो 430 ग्राम के आभूषण लेकर दिनांक 12.02.2025 को फरार हो गया है।

उपरोक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर माल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आज दिनांक 07.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंशु शुक्ला उपरोक्त आरिफ आशियाना बिल्डिंग पार्किंग के पास थाना चौक लखनऊ से मुकदमे से सम्बन्धित सफेद धातु 13 जोड़ी पायल वजन 01 किलो 269 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अंशुल शुक्ला उर्फ अंशु पुत्र गणेश शंकर शुक्ला उर्फ शान्ति शुक्ला निवासी गौरा पोस्ट पहला तहसील महम्मूदाबाद थाना रामपुर कला जिला सीतापुर उम्र करीब 20 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 055/2025 अन्तर्गत धारा 306 /317(2) बीएनएस बीएनएस थाना चौक लखनऊ

04-बरामदगी का विवरण –

- 13 जोड़ी सफेद धातु पायल कुल वजन 1269 ग्राम

05-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 पंकज कुमार यादव, चौकी प्रभारी चौक, थाना चौक लखनऊ
2. उ0नि0 श्री ओंकार सिंह, थाना चौक लखनऊ
3. उ0नि0 स्वाती चौधरी, थाना चौक लखनऊ
4. का0 परम सिंह, थाना चौक लखनऊ
5. का0 अमित कुमार, साईबर सेल हजरतगंज, लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-786

दिनांक- 07.04.2025

जोन- उत्तरी / अलीगंज लखनऊ

• 01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या 92080/2024, मु0अ0सं0 076/2024 धारा 504/506 भादवि थाना अलीगंज लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी राजेश वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा नि0 538ए/1520 सीतापुर रोड त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 48 वर्ष को उसके निवास स्थान त्रिवेणीनगर-3 से समय करीब 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

गाली गलौज तथा धमकी देना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01-राजेश वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा नि0 538ए/1520 सीतापुर रोड त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 48 वर्ष (मेडिकल स्टोर पर काम करता है।)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार मिश्र थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. का0 मंगला प्रसाद थाना अलीगंज जनपद लखनऊ